



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2011/पौष 28, 1932

No. 24]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2011/PAUSA 28, 1932

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 32(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में हिन्दी अधिकारी के पद से संबंधित क्रम सं. 01 के सामने, स्तंभ 4 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

“वेतनबैंड-3 वेतनमान-15,600-39,100 रु. और ग्रेड वेतन, 5400 रु।”

[फा. सं. 1/(2)/2009-का. III]

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सं. सा.का.नि. 32(अ), तारीख 14 जनवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा किए गए :—

(i) सा.का.नि. 75(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010

(ii) सा.का.नि. 644(अ), तारीख 30 जुलाई, 2010।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2011

G.S.R. 32(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'B' Posts) Recruitment Amendment Rules, 2010, namely :—

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2009, against serial number 01 relating to the post of Hindi Officer, under column 4, for the existing entry the following shall be substituted, namely :—

“Pay Band-3, in the scale of Pay of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400”.

[F.No. 1/(2)/2009-Pers. III]

N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.

Note: Principal Rules were published vide No. G.S.R. 32 (E) dated 14th January, 2010 and subsequently amended vide notification numbers :

(i) G.S.R. 75(E), dated 12th February, 2010;

(ii) G.S.R. 644(E), dated 30th July, 2010.